UPBD010020032026

न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–893/2026

1. शिवशंकर पुत्र चन्ना।
2. रामशंकर पुत्र चन्ना।
3. रामप्रसाद पुत्र चन्ना।

निवासीगण–ग्राम चन्दवारा, थाना–पैलानी, जिला–बांदा।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0 87/2024
धारा–323, 504, 506, 325, 452, 308 भा0दं0सं0
थाना–पैलानी, जिला–बांदा।

दिनांक 08.06.2026

1. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण शिवशंकर, रामशंकर एवं रामप्रसाद द्वारा मु0अ0सं0 87/2024 धारा–323, 504, 506, 325, 452, 308 भा0दं0सं0, थाना–पैलानी, जिला–बांदा के मामले में जरिए अधिवक्ता जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वयं के शपथपत्रों से समर्थित है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रजोल यादव द्वारा संबंधित थाना–पैलानी, जिला–बांदा में इस आशय की तहरीर दी गयी कि वह चन्दवारा, थाना–पैलानी, जिला–बांदा का मूल निवासी है। दिनांक 22.04.2024 को उसके गांव के शिवशंकर पुत्र चुन्ना निवासी चन्दवारा उसके बटाई के खेत से भूसा बिना बताये बांध लाया था उसी बात का उसने उलाहना दिया इसी बात पर उस दिन कहा–सुनी हुई थी। उसी बात की खुन्नस दिनांक 23–04–2024 को शिवशंकर, रामशंकर, रामप्रसाद पुत्रगण चन्ना निवासी चन्दवारा सोनू निषाद की बहन की शादी में खाना खाने आये हुये थे वहां पर वह तथा उसके खेत के मालिक रामसागर तिवारी खाना परोस रहे थे, तो उपरोक्त तीनों भाई गाली–गलौज कर रहे थे तो वहां मौजूद लोगों ने उनको समझा–बुझाकर भेज दिया। उसके पिता घर पर खाना खाकर घर के बाहर सो रहे थे उनको उपरोक्त तीनों लोगों ने लाठी डण्डों से गाली–गलौज करते हुए बुरी तरह से उसके पिता जी को समय करीब 10 बजे रात मारे पीटे तथा उसके पिता जी अपनी जान बचाकर घर के अन्दर भागे तो उनको घर में घुसकर बुरी तरह मारे। उसके पिता जी बेहोश हो गये तब उसने पुलिस को 112 को फोन किया और अपने पिता जी को बेहोशी हालत में किराये के साधन से जिला अस्पताल बांदा ले जाकर भर्ती

Digitally signed by ARPANA SHARMA
Date: 2026.06.08 14:38:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कराया जिनका इलाज चल रहा है। अभियुक्त अभी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस घटना को रामसागर तिवारी व रजोल ने देखा। सूचना को आया हूँ। आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है।

3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये है कि वे अनुसूचित जाति के गरीब व मजदूर व्यक्ति किस्म के व्यक्ति हैं। उक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने की मेज पर बैठ कर तैयार की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज की गयी है तथा देरी का दिन प्रतिदिन का हवाला नहीं दिया गया है। उक्त वाद की तहरीर/प्रथम सूचना रिपोर्ट साजिश व सांठ–गांठ के तहत तैयार की गयी है। कथित घटना बनावटी व झूंठी है। घायल हरिप्रसाद यादव के चार चोटे आयी हैं तथा चोट सं० 1 व 4 के लिए एक्सरे एडवाइज किया गया है तथा चोट सं० 2 व 3 साधारण प्रकार की है तथा समस्त चोटे तीन दिन पुरानी कही गयी है। डॉक्टर के बयानों से घायल हरिप्रसाद यादव के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर आना अंकित है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की गम्भीर व जान लेवा व मरणासन्न की चोट नहीं पायी गयी है। घायल हरिप्रसाद यादव को न तो बोन डीप हुआ है और न ही मरणसन्न स्थिति में पहुंचा है। उनके द्वारा उसको ऐसी चोट नहीं पहुंचायी गयी है, जिससे घायल मृत्यु की स्थिति में पहुंचे। लापरवाह व घूसखोर विवेचक ने रामसागर तिवारी के माध्यम से भारी भरकम घूस लेकर वादी मुकदमा व घायल को नजायज लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 308 आई०पी०सी० के आरोप में फर्जी चार्जशीट कायम करके उनको नजायज फंसाया है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घायल को जो भी चोटें आयी हैं वह अवारा सांड की हमले से आयी हैं। उन्होंने वादी मुकदमा व घायल को न तो गाली–गलौज किया है और न ही जान माल व हत्या की धमकी दी है और न ही घर के अन्दर घुस कर हमला किया है और न ही हाथ की हड्डी तोड़ी है और न ही सिर पर किसी प्रकार की चोटें पहुंचायी है। घायल की चोटें साधारण प्रकार की है। उन पर लगाया गया आरोप जमानतीय है। वे प्रत्येक तिथि पर हाजिर अदालत आयेंगे तथा माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग करेगें। माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु पर्याप्त जमानते व मुचलका देने को तैयार है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा ताफैसला अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु याचना की गयी है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने योग्य कहा है।

5. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के पिता को लाठी–डण्डा से गाली–गलौज करते हुए मारने पीटने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। मजरूब हरिप्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर चार चोटे आना तथा चोट नं0 2 व 3 साधारण प्रकार की होना तथा चोट सं0 1 व 4 हेतु एक्सरे की सलाह दी गयी है। मजरूब की एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार उसके दाहिने भुजा में Fracture Shaft Humerus होना अंकित है। मजरूब को कोई प्राणघातक चोट नहीं है। मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये सभी आरोप सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। दौरान विचारण अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा पत्रावली पर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उनके द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया गया है।

7. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत योग्य मामला बनता है, तदनुसार गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण शिवशंकर, रामशंकर एवं रामप्रसाद का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा अंकन पचास–पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू, विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. अभियुक्तगण मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या दबाव नहीं डालेगे।
2. अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्यों को नष्ट नहीं करेगे।
3. अभियुक्तगण दौरान विचारण नियत तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगे।
4. अभियुक्तगण तथा उसके जमानतदार अपना–अपना मोबाइल नम्बर न्यायालय में उपलब्ध कराएगे तथा उनके स्थायी पते का नियमानुसार सत्यापन कराया जाये।
5. अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगे।

(अल्पना)
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे0ओ0 कोड नं0 यू0पी0 05748)

दिनांकः 08.06.2026